न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशु राम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 152/2019 (GCMS No. 2019/00157) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामबहादुर सिंह पुत्र उमरावसिंह
2. अजीतसिंह
3. मनोजसिंह } पुत्रान मंगल
4. अशोकसिंह
5. मायादेवी पत्नि मंगलसिंह
6. मिथलेश } पुत्रियान मंगलसिंह
7. नीरूवाई
8. रमेश सिंह पुत्र लाखनसिंह
9. कमला बेवा लाखनसिंह
10. रबी देवी } पुत्री लाखनसिंह
11. रीना देवी
12. सुरेश पुत्र रामकिशन

समस्त जातियान राजपूत निवासी कोटा (छावर) तहसील व जिला करौली।

..........अपीलान्ट्स

बनाम

1. शिवचरण
2. रामचरण
3. रामधरण } पुत्रगण गोपी
4. रामदयाल
5. फूलबाई बेवा गोपी

समस्त जातियान मीणा निवासी वरेण्डापुरा तहसील व जिला करौली।

.........असल रेस्पोडेन्टस

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली।
7. अमन आयु 11 वर्ष } नाबालिगान वली सरपरस्त पिता नन्दलाल जाति राजपूत
8. पवन आयु 13 वर्ष } निवासी दादिया वाया बस्सी जिला जयपुर।

.........तरतीबी रैस्पोडैन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी करौली दिनांक 30.06.2017 प्रकरण संख्या 209/2005 उनवानी शिवचरन वगै. बनाम रामबहादुरसिंह वगै. बावत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट।

उपस्थिति:– श्री गोविन्दसिंह डागुर, अधिवक्ता अपीलान्टस

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निर्णय   दिनांक : 27.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत् आराजी ख.नं. 694 रकवा 19 विस्वा, 695 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, 696 रकवा 18 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 3 बीघा वांके ग्राम कोटा पटवार हल्का कोटा (छावर) तहसील करौली में स्थित है। प्रार्थीयान के पिता गोपी पुत्र गंगाधर जाति मीणा की खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसके इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2025 लगायत 2028 में दर्ज है। पिता का स्वर्गवास हो चुका है। संवत् 2029 लगायत 2032 में इन्द्राज अपीलांटस के नाम गलत आ गये जो राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत करके अनाधिकृत तौर से करा लिये हैं। प्रार्थना पत्र में दर्ज अप्रार्थी मुंशीसिंह का 2009 में स्वर्गवास हो गया और उसके वारिस रामकिशन का भी स्वर्गवास सन् 2013 में हो गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा इनके वारिसों को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार अप्रार्थी सख्या 10 रूपीदेवी का भी स्वर्गवास 2013 में हो चुका था लेकिन उसके वारिस भी रिकार्ड पर नहीं लिये। इस प्रकार मरे हुये व्यक्तियों के खिलाफ पारित यह निर्णय शून्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त पत्रावली में प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 जा.दी. दिनांक 30.06.2014 को पेश होने पर जबाब व बहस में नियत थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2017 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान में प्रस्तुत हुई जिसकी सूचना अपीलांटस को नहीं दी गई। अपीलांटस की अनुपस्थिति में बिना जानकारी अपीलांटस और अधिवक्ता एकतरफा में रेस्पो. को सुनकर दिनांक 30.06.2017 को न्याय आपके द्वारा अभियान में प्रार्थना पत्र रेस्पो. स्वीकार कर लिया गया। जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस को पर्याप्त तामील/सूचना होने पर न तो रेस्पोडेन्टस एवं न ही उनकी ओर से पैरवी हेतु कोई हाजिर अदालत नहीं आया।

3. अपीलांटस के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत् आराजी ख.नं. 694 रकवा 19 विस्वा, 695 रकवा 1 बीघा 3 विस्वा, 696 रकवा 18 विस्वा कुल किता 3 कुल रकवा 3 बीघा वांके ग्राम कोटा पटवार हल्का कोटा (छावर) तहसील करौली में स्थित है, जिसके इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2025 लगायत 2028 में रेस्पो. के पिता गोपी पुत्र गंगाधर

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर

जाति मीणा के नाम है। पिता का स्वर्गवास हो चुका है। संवत् 2029 लगायत 2032 में इन्द्राज अपीलांटस के नाम गलत आ गये है जो राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत करके अनाधिकृत तौर पर करा लिए हैं जबकि उसी संवत् 2025–2028 में अपीलांटस के नाम भी जमाबंदी में दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र में दर्ज मुंशीसिंह का स्वर्गवास सन 2009 में हो गया और मुंशी सिंह के वारिस उसके पुत्र रामकिशन का स्वर्गवास सन 2013 में हो गया। अब रामकिशन का पुत्र सुरेश जो अपीलांट संख्या 13 है। कोई भी कार्यवाही मुंशीसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई। मरे हुये व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 10 रूपीदेवी का स्वर्गवास सन 2013 में हो गया उसके वारिसान को भी रिकार्ड पर नहीं लिया गया, जबकि उसके पति व पुत्र जीवित हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा. दी. दिनांक 30.06.2014 को प्रस्तुत किया। जिसके जबाब व बहस में पत्रावली नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2017 को पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान में प्रस्तुत हुई जिसमें अपीलांटस की अनुपस्थिति दर्ज कर वास्ते निर्णय दिनांक 30.06.2017 नियत कर दी गई। जिसकी सूचना न तो अपीलांटस को और न ही अपीलांटस के अधिवक्ता को दी गई। दिनांक 06.06.2017 को एकतरफा में ही रेस्पो. को सुन लिया और वास्ते आदेश दिनांक 30.06.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अपीलांटस व उसके अधिवक्ता को कैम्प में सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 11.07.2017 को हुई जिसकी नकल लेने पर दिनांक 04.08.2017 को प्राप्त हुई। जानकारी होने एवं नकल मिलने पर अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना सुने एकतरफा में बहस सुनकर पारित किया है। अवैध एवं शून्य आदेशों को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। ऐसे आदेशों के विरूद्व कोई परिसीमा लागू नहीं होती है। फिर भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत है। रेस्पो./प्रार्थीगण का कथन अधीनस्थ न्यायालय में यह रहा कि संवत् 2025 लगायत 2028 में विवादित आराजी उनके पिता के नाम रही थी लेकिन उससे पूर्व जमाबंदी संवत् 2023 लगायत 2028, संवत् 2029 लगायत 2032 एवं 2033 लगायत 2036 में इन्द्राज अपीलांटस के पिता उमराव सिंह व मुंशी सिंह के नाम खातेदारी में रही है उसके बाद निरन्तर रही है। संवत् 2025 लगायत 2028 में भी विवादित आराजी अपीलांटस के पिता उमराव सिंह व मुंशी सिंह के नाम रही है। उमराव सिंह का देहान्त होने के बाद नामांतरकरण संख्या 193 दिनांक 11.12.1978 से उमराव के बजाय उसके पुत्र रामबहादुरसिंह, मंगल व लाखन सिंह के नाम इन्द्राज हुये हैं। मंगलसिंह व

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

लाखनसिंह का स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान के नाम इन्द्राज हुये हैं। विवादित आराजी को जमाबंदी संवत् 2025 लगयात 2028 में नामांतरकरण संख्या 121 से उमरावसिंह व मुंशीसिंह पिसरान गजराजसिंह के नाम नोट कॉलम संख्या 16 में अंकित किया गया है जबकि नामांतरकरण संख्या 121 सिवायचक भूमि नम्बर 122 में से 15 बीघा भूमि भजनसिंह पुत्र चन्दरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटा को रेग्यूलाईज कर स्वीकृत किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं भी इन्द्राज संवत् 2025 लगायत 2028 में रेस्पो. के पिता गोपी का नाम नहीं रहा है। सब जगह जमाबंदी में हमारा ही नाम है। किसी अन्य खसरा नम्बरान पर इन्द्राज भजनसिंह के नाम रहे लेकिन उनको ही रेस्पोडेन्टस के पिता के नाम मान लिया। संवत् 2023 लगायत 2026 में इन्द्राज रेस्पोडेन्टस के नहीं रहे और संवत् 2029 से 2032 एवं वर्तमान तक अन्य जमाबंदी में नहीं रहे तो फिर संवत् 2025 लगायत 2028 में कैसे रेस्पोडेन्टस के इन्द्राज हो सकते है। ऐसा कोई रिकार्ड भी पेश नहीं किया और न प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं बल्कि दावा करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी अवैध तरीके से बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये मंनमाने ढंग से रेस्पोडेन्टस को फायदा पहुॅचाने की गरज से पारित किया है। अतः हमारी अपील स्वीकार फरमाई जावे और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.06.2017 निरस्त किया जावे। अपील के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2021 पेज 44 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किये।

5. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीर का भी ससम्मान अवलोकन किया और उससे मार्गदर्शन प्राप्त किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में विवादित भूमि रेस्पोडेन्टस के पिता गोपी पुत्र गिरधर मीना के नाम खातेदारी में दर्ज पायी जाती है और बाद में अपीलांटस के बुजुर्गान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज पायी जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब में अंकित किया है कि –" विवादित जमीनों पर हम गैर–सायलान के बुजुर्ग उमराव व मुंशीसिंह द्वारा सायलान के पिता गोपी से 3000/– रूपये अदा कर खरीद किया था और रूपये प्राप्त कर खातेदार गोपी ने उमराव सिंह व मुंशीसिंह को काबिज कराया था जिसकी लिखा पढी मिति जेठ बदी दोज संवत् 2016 को राजेन्द्रसिंह से लिखवा कर गवाही गवाहान करा कर हमारी बही में लिखा कर अपनी निशानी अंगूठा करके हमारे सुपुर्द कर की। योम खरीद से आज तक हम जमीन पर लगातार बिना किसी रोक टोक के काबिज हैं नियमानुसार हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हुए हैं हमारा कब्जा

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

जमीन पर मुखालफाना है। समस्त खातेदारी हकूक हम में वेस्ट हो चुके हैं।" अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दिनांक 18.04.2017 को जबाब एवं बहस हेतु तारीख पेशी दिनांक 15.06.2017 हेतु नियत किया गया था। नियत तारीख पेशी दिनांक 15.06.2017 से पूर्व ही प्रकरण दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत में नियत की जाकर तहसीलदार मासलपुर एवं प्रार्थी नं. 1 शिवचरण को सुना और वास्ते निर्णय दिनांक 30.06.2017 नियत की जाकर निर्णय पारित किया गया। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर से मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि– लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को लगाया जाता है जिसमें दोनों पक्षकर विवाद के बावत् राजीनामा करना चाहते है। मौजूदा प्रकरण में दोनों पक्षों में राजीनामा जैसी कोई बात नहीं पायी जाती है और प्रकरण को अपीलांटस की बिना सहमति के लोक अदालत में रखा गया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपीलांटस को उक्त प्रकरण में लोक अदालत में सुने बिना निर्णय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। इसके अलावा प्रकरण के अप्रार्थीगण नं. 10 व 13 भी फौत हो गये थे और अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टस ने इन मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसान को पक्षकारान बनाया नहीं और अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जिससे मृतक पक्षकारान के विरूद्व ऐसा निर्णय प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार अपीलांटस से हम आंशिक रूप से सहमत हैं कि उन्हें प्रकरण में सुना नहीं गया और मृतकों के खिलाफ निर्णय पारित हुआ है। ऐसे में प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

7. फलस्वरूप उक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतकों के वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार/प्रक्रियानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.10.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर